

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

पत्रांक-10/राज्य स्कीम आ0 - 32/2024-25 174/आ.रा.

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, देवघर, गढ़वा, गोड्डा एवं रामगढ़।

राँची, दिनांक-20-03-2025

विषय :-

राज्य योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष-19-"वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु "मजदूरी" इकाई विपत्र कोड-40-S-2029-00-102-19-00-01-03 में ₹12,08,77,000/- (बारह करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1321/रा0, दिनांक-22.04.2024 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-758/रा0, दिनांक-19.03.2025 तथा ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या-72, दिनांक-22.04.2024 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-2381, दिनांक-19.03.2025 के आलोक में "मजदूरी" इकाई में कुल ₹12,08,77,000/- (बारह करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- उक्त राशि का ऑनलाईन आवंटन कार्यालय के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, जिला भू-अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, समाहर्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), बंदोबस्त कार्यालय, परिसदन, राजस्व पर्सद, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, राजभवन, दुमका एवं मुख्यालय में बाह्यस्रोत/अनुबंध के माध्यम से सफाई, सुरक्षा, अधिष्ठापित मशीन-उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/वाहन/वाहन के चालक/अमीन/राजस्व कर्मचारी/ लिपिक/ गृह रक्षक/से.नि. सैनिक/ सफाईकर्मि/अनुसेवक आदि की सेवाप्राप्त करने एवं जिला, प्रमण्डल, निदेशालय एवं मुख्यालय स्तर पर गठित पी.एम.यू. पर व्यय किये जाने के निमित्त आवंटन दिया जा रहा है।
- सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से बाह्यस्रोत के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2-2 होमगार्ड/सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त कर्मि को 3 पालियों में रखा जाएगा। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मि की सेवा प्राप्त करने के समय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि वे लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम हों। सभी अपर समाहर्ता संबंधित उपायुक्त/सैनिक कल्याण निदेशालय से इस निमित्त अनुरोध कर होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मि की सेवा प्राप्त करेंगे। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मि की सेवा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक कर्मि की सेवा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय।
- जिला स्तर पर संविदा पर नियुक्त नीलाम पत्र पदाधिकारी का वेतन भुगतान इस राशि से नियमानुसार किया जाय।
- राज्य के जिन जिलों में वाह्य स्रोत के माध्यम से चयनित एजेंसी से परिसदन भवन का संचालन किया जा रहा है, उन परिसदन भवन पर होनेवाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा।
- उपर्युक्त सभी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की सेवा वाह्य स्रोत के अंतर्गत निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाए। एजेन्सी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान कार्यालय प्रधान का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।

Yhr

कृ०पृ०उ०

8. जिन कार्यालयों में उपर्युक्त कंडिका-2 में उल्लेखित कर्मियों की आवश्यकता है, वहाँ न्यूनतम आवश्यकतानुसार इसके लिए निर्धारित अर्हता वाले लोगों की सेवा वाह्यस्रोत से निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से अथवा वित्त विभाग के परिपत्र/दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार अनुबंध के माध्यम से प्राप्त किया जाय।
9. जिन कार्यालयों में विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से एजेन्सी से वाहन प्राप्त करेंगे। इस निमित्त एजेंसी पर होनेवाले व्यय का भुगतान इस योजना से किया जाएगा।
10. योजना व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से होगा।
11. जिन कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय से उपरोक्त योजना हेतु राशि आवंटित है, इसके लिए उक्त हद तक इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा इस राशि का लेखा अलग से संधारित किया जाएगा।
12. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
13. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा।
14. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-257 दिनांक-21.03.2024 एवं पत्रांक-204/बजट दिनांक-06.03.2025 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
17. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन

Shree
20/3

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

174/अ/10

राँची, दिनांक- 20-03-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड / संबंधित अपर समाहर्ता / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree
20/3/xxv

सरकार के सचिव।

Shree

10/राज्य स्कीम आ. -32/2024-25.....174/आ.रा., दिनांक-20-03-2025

योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सवेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष-19-वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि का आवंटन

क्र.	कार्यालय का नाम	DDO Code	आवंटित राशि
1	हजारीबाग	HZBLDR 044	15791888
2	कोडरमा	KDMLDRA 01	3870542
3	चतरा	CTRLDR 003	3000000
4	गिरिडीह	GRDDAD 062	8000000
5	बोकारो	BKRLDR 014	13906290
6	देवघर	DGRLDRA 39	16674984
7	गढ़वा	GRHLDR 003	21672612
8	गोड्डा	GDDLDR 001	28960684
9	रामगढ़	RGHLDR 036	9000000
कुल			120877000

Shree.
20/3/2025

(चन्द्रशेखर)

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

4/11

